केन्द्रीय विद्यालय संगठन
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

<u>कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 05.01.2015 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त</u>

केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में श्री इसमपाल, उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 05.01.2015 को कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के निम्न सदस्य एवं कार्यालय के समस्त स्टाफ गण उपस्थित रहे।

- **श्री इसमपाल,उपायुक्त–अध्यक्ष**
- **डॉ0एस0एन0शर्मा,सहायकआयुक्त–सचिव**
- **डॉ0(श्रीमती) बी0कौर ,सहायक आयुक्त–सदस्य**
- **श्रीमती जे0एस0वी0लक्ष्मी,सहायक आयुक्त–सदस्य**
- **श्री एम0एल0विश्वकर्मा,सहायक कार्यवाहक अनुभाग अधिकारी–सदस्य**
- **श्री मनोज रावतानी,वित अधिकारी–सदस्य**
- **श्रीमती गीतांजली पाण्डे, हिन्दी अनुवादक–सदस्य**

कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया तदुपरांत कार्यसूची के निम्न बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई :–

1. **कार्यालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन :–**

इस मद के अंतर्गत समिति के सचिव महोदय ने बताया कि गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें क, ख एवं ग क्षेत्रों के लिए हिन्दी की प्रगति के संबंध में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । हिन्दी के प्रयोग के लिए गत वर्ष 2014–15 में क' क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों/विद्यालयों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । सचिव महोदय द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा विगत वर्ष में निर्धारित किए गए लक्ष्यों एवं उसके अनुसार पिछली तिमाही में कार्यालय के द्वारा किए गए पत्राचार की जानकारी बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के समक्ष निम्नानुसार रखी गई।

- **'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र के लिए पत्राचार का निर्धारित प्रतिशत- 100% एवं गत तिमाही में कार्यालय के हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत-54%**
- **'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र के लिए पत्राचार का निर्धारित प्रतिशत- 100% एवं गत तिमाही में कार्यालय के हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत-61%**
- **'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र के लिए पत्राचार का निर्धारित प्रतिशत- 65% एवं गत तिमाही में कार्यालय के हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत-57%**

उपर्युक्त मद के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सचिव महोदय ने सभी से यह अपेक्षा की कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत रहें एवं मूल पत्राचार अधिकाधिक हिन्दी में करें। साथ ही यह भी कहा कि अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी यथासंभव हिन्दी में ही दिए जाने का प्रयास करें जिससे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जिसपर सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की।

2.हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जानाः–

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाने चाहिए। अतः डॉ शर्मा, सहायक आयुक्त एवं समिति के सचिव महोदय ने सभी से यह अपेक्षा की कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर 100 प्रतिशत हिन्दी में ही दिए जाएँ ।

3.हिन्दी में टिप्पण :–राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार हिन्दी में टिप्पणी लिखने के लिए 75 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । कार्यालय में विगत तिमाही में फाइलों पर 80 प्रतिशत टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी गईं । जिसकी सराहना कार्यालय के सभी सदस्यों द्वारा की गई एवं आशा व्यक्त की गई कि भविष्य में भी हिन्दी टिप्पणियों की प्रतिशत्ता में अपेक्षाकृत वृद्धि होगी।

4.राजभाषा नियम 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालनः– सचिव महोदय द्वारा राजभाषा नियम 1963 के अंतर्गत आने वाले निम्न दस्तावेजों के द्विभाषी रूप में रूप में जारी किए जाने के प्रावधान का उल्लेख किया ।

सामान्य आदेश (सभी आदेश, निर्णय, परिपत्र, अनुदेश, ज्ञापन, नोटिस आदि), अधिसूचनाऐं, संविदाएँ, लाइसेंस, प्रेस विज्ञप्तियाँ, करार, परमिट, टेंडर फार्म/टेंडर नोटिस,संकल्प, नियम, संसद में प्रस्तुत सरकारी कागज–पत्र, संसद में प्रस्तुत प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट, किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट ।

उक्त मद में अध्यक्ष महोदय ने अपना अनुमोदन प्रदान किया एवं कार्यालय के समस्त सदस्यों से उक्त नियम के पूर्णतः अनुपालन की अपेक्षा की ।

4.प्राज्ञ/प्रवीण एवं हिन्दी ज्ञान संबंधी प्रशिक्षण :– इस मद के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय ने कार्यालय/विद्यालयों के कर्मचारियों को प्राज्ञ/प्रवीण करवाए जाने एवं हिन्दी में प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी चाही । जिस पर सचिव महोदय ने माननीय अध्यक्ष महोदय को बताया कि कार्यालय में समस्त स्टाफ से निर्धारित घोषणा पत्र के आधार पर हिन्दी ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर ली गई है एवं तदनुसार विद्यालयों को भी समय समय पर अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु अनुदेशित किया जाता रहा है । इस मद में सचिव महोदय ने यह भी बताया कि सितम्बर 2014 में दिनांक 16 एवं 17 सितम्बर 2014 तक आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में भी कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

5.अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–राजभाषा निरीक्षण एवं अनुवीक्षण– उक्त मद पर अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से सचिव महोदय ने संभाग के विद्यालयों में राजभाषा निरीक्षण एवं अनुवीक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । जिस पर प्रावधान अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय समिति के सभी सदस्यों द्वारा लिया गया । कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को और अधिक बढ़ाने की अवधारणा एवं राजभाषा नियमों के पूर्णतः अनुपालन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014–15 की अंतिम तिमाही की बैठक का समापन किया गया ।

(इसमपाल)

(डॉ0एस0एन0शर्मा)
सचिव एव सहायक आयुक्त

अध्यक्ष एवं उपायुक्त